झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

ARKADEEP
10/8/21

स0सं0-4/म0-08/2020/................/ राँची, दिनांक-............................../

श्री प्रमोद प्रसाद (राज्य. शिक्षा सेवा वर्ग-2), तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज-सम्प्रति-सेवानिवृत्त को माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वादों में ससमय तथ्य विवरणी तैयार कराने एवं प्रतिशपथ दायर करने में उपायुक्त, साहेबगंज के आदेशों के अनुपालन में लापरवाही, उदासीनता बरतने तथा सरकारी कार्यों के प्रति अनिच्छा एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-9(1)(क) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-955 दिनांक-12.05.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2. श्री प्रसाद द्वारा निलंबन संबंधी उक्त विभागीय अधिसूचना के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद W.P.(S) No.-3331/2020 Pramod Prasad vs State of Jharkhand and others दायर किया गया।

3. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-25.02.2021 को पारित न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् है :-

> *"As a cumulative effect of the above discussions, the impugned order will not sustain in the eye of law. Accordingly, the impugned order dated 12.05.2020 is quashed. The petitioner shall co-operate in the departmental proceeding and will appear on the date fixed by the inquiry officer and it is expected that the departmental proceeding shall be completed within a period of two months."*

4. उक्त न्यायादेश के अनुपालन में निलंबन संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0-955 दिनांक-12.05.2020 को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

— ह० —

(विश्वनाथ झा)
सरकार के अवर सचिव।

उप सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड, राँची।
प्रधान सं0- 68
दिनांक- 10-8-21

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–1583/ **राँची, दिनांक**–06-08-2021/

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित / विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 पोर्टल को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

विभाग 06/08/21

सरकार के अवर सचिव।